राजस्व पुनिरिक्षण कमांक ..../2018

प्रस्तुति दिनांक 21.02.2018

माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर, वृत्त इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष

PBR/निगरानी/धार/भू.रा/2018/1357

थावरिया पिता वालसिंह भिलाला
निवासी – खेडापुरा हल्दी, तहसील कुक्षी
जिला धार म.प्र.

पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

1– रामसिंह पिता भेरूसिंह भिलाला

2– प्रेमसिंह पिता भेरूसिंह भिलाला

3– भूरीबाई बेवा भेरूसिंह भिलाला
सभी निवासी : हल्दी, हाल तहसील कुक्षी
जिला धार म.प्र.

4– केलबाई पिता भेरूसिंह पति सुरसिंह भिड़े
निवासी – हल्दी, हाल मुकाम राजोद
जिला धार म.प्र.

प्रतिप्रार्थिगण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत

श्रीमान तहसीलदार महोदय, कुक्षी के न्यायालय द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक/25/अ–6/10–11 में पारित आदेश दिनांक 25.04.2012 से अंसतुष्ट होकर प्रतिप्रार्थीगण द्वारा एक अपील न्यायालय **श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महोदय, कुक्षी, डही क्षेत्र** के समक्ष प्रस्तुत की गई जो राजस्व अपील कमांक/12/2011–12, अपील पर दर्ज होकर उक्त अपील के आदेश दिनांक 25.06.2013 से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा द्वितीय अपील माननीय अपर आयुक्त महोदय, इन्दौर संभाग इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 588/अपील/2012–13 पर दर्ज की जाकर निरस्त की गई जिसमें पारित आदेश दिनांक 07.05.2015 से असंतुष्ट होकर यह पुनरीक्षण नियत न्याय शुल्क पर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/धार/भू.रा./2018/1357 (आवेदक/अभिभाषक आदि)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-3-2018	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राहता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 7-5-2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 21-2-2018 को लगभग ढाई वर्षों से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। विलम्ब क्षमा हेतु प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन-पत्र में विलम्ब के संबंध में दर्शाया गया आधार समाधान कारक नहीं है। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण भी नहीं दर्शाया गया है। अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया समय बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	